ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-11* February-2021
Anthology : The Research

सल्तनत काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति

Social Status of Women in the Sultanate Period

Paper Submission: 05/02/2021, Date of Acceptance: 24/02/2021, Date of Publication: 25/02/2021

सबिता गुप्ता
शोध छात्रा,
इतिहास विभाग,
वी. बी. एस. पूर्वांचल
विश्वविद्यालय, जौनपुर,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

सल्तनत काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एक विवेचन के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति भारतीय समाज में सदैव से एक समस्या रही है। इस प्रकार संभवतः मनु की दृष्टि में हिंदू स्त्रियों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था, परंतु तुर्कों के आगमन के बाद उनकी स्थिति में कुछ न कुछ गिरावट अवश्य आ गयी, पर हिंदू समाज में उनका परंपरागत सम्मान अवश्य बना रहा।

In the Sultanate period, the social status of women has been presented as a discussion. The condition of women in the Sultanate period has always been a problem in Indian society. Thus in the eyes of Manu, Hindu women probably enjoyed a prestigious position in society, but after the arrival of Turks their status did decline somewhat, but their traditional respect in Hindu society remained.

मुख्य शब्द : पर्दा–प्रथा, बाल विवाह–प्रथा, बहुविवाह–प्रथा, विधवा विवाह, सती–प्रथा, शिशुवध, जौहर–प्रथा, दास–प्रथा।

Curtain-Practice, Child-Marriage Practice, Polygamy-Practice, Widow Marriage, Sati-Practice, Infanticide, Jauhar-Practice, Slave Practice.

प्रस्तावना

मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से सल्तनत काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक जीवन की झलक प्रस्तुत किया गया है। सल्तनत कालीन समाज में अनेक सामाजिक कुप्रथाएँ जैसेः पर्दा–प्रथा, बालविवाह–प्रथा, बहुविवाह–प्रथा, विधवा विवाह, सती–प्रथा, शिशुवध, जौहर–प्रथा, दास–प्रथा इत्यादि के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध–पत्र में सल्तलत कालीन भारतीय स्त्रियों के खान–पान, उनकी वेशभूषा, श्रृंगार प्रसाधन, आभूषणों आदि के बारे में वर्णन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

शोध–पत्र में मध्यकालीन सामाजिक संस्थाओं के प्राचीनकाल से निरन्तरता एवं भारतीय इस्लामिक संस्कृति के एकीकरण की सूचना भी मिलती है।

विषय विस्तार

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव से ही एक समस्या रही है। प्राचीन भारतीय समाज में नारी एक 'अर्धागिनी' 'अर्धस्वामिनी तथा 'सहगामिनी' आदि की उपाधियों से सुशोभित थी। इसके उदाहरण लोपामुद्रा, गार्गी, अपाला, घोषा आदि अनेक विदुषी स्त्रियों के रूप में मिलते है। स्त्रियाँ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यो में भाग लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती थी। नारी की स्थिति के बारे में स्मृतिकारों ने भी कहा था–

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।'

अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं।

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रही। जिस प्रकार से परिवर्तन प्रकृति का नियम है उसी प्रकार स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होते रहे है। ए0एस0 अल्टेकर के शब्दों में, ''समय के साथ–साथ समाज में नारियों का महत्व कम होता गया।'' बौद्ध काल में स्त्रियों की दशा में परिवर्तन प्रारम्भ हो गया था। सल्तनकाल तक स्त्रियों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। इस काल में स्त्रियों का स्था 'भोग्या' के रूप में था।

पर्दा–प्रथा

पर्दा–प्रथा भारतीय समाज में प्रचलित एक सामाजिक कुप्रथा है जिसने स्त्रियों को काफी प्रभावित किया है। पर्दा एक इस्लामी शब्द है, जो फारसी से

अरबी भाषा में आया था। इसका अर्थ होता है 'ढकना' या 'अलग करना।' भारत में पर्दा–प्रथा का प्रारम्भ किस प्रकार से हुई विद्वानों में काफी मतभेद है। डॉ0 अल्टेकर का मत है कि भारतीय पर्दा–प्रथा से अपरिचित थे। डॉ0 वाहिद मिर्जा के अनुसार पर्दा–प्रथा हिन्दुओं में प्रचलित थी। उनका मानना है कि मुस्लिम समाज में पर्दा–प्रथा की शुरूआत राजपूतों के प्रभाव के कारण हुई। डॉ0 आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव डॉ0 मिर्जा के कथन से असहमत है, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व राजपूत समाज में पर्दा प्रथा का कही भी उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत इस प्रकार के दृष्टांत अवश्य मिलते है कि चौदहवीं शताब्दी में राजपूत स्त्रियों ने आावश्यकता पड़ने पर युद्धों में भाग लिया।[1]

प्राचीन भारतीय समाज में पर्दा–प्रथा का प्रचलन आंशिक रूप में था। तुर्क शासक और उनके पदाधिकारी हिन्दू स्त्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। अतः शासक वर्ग अमीर वर्ग के लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए पर्दे का प्रचलन हुआ था। सल्तनतकालीन भारतीय समाज में महिलाएं जब कोई भी अजनबी उनके पास से गुजरता था तो केवल साड़ी का एक पल्ला ही उनके मुख और सिर को ढकने के लिए पर्याप्त होता था। पर्दा–प्रथा का प्रचलन पूर्ण रूप से हिंदू तथा मुस्लिमों के उच्च वर्गो की महिलाओं में था क्योंकि पर्दा उनके खानदान के लिए गौरव तथा सम्मान की वस्तु माना जाता था। प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान ने पर्दे की प्रथा को त्याग दिया था जिसके कारण मुसलमान अमीर उनसे नाराज हो गए और अंत में उसे अपनी जान गॅवानी पड़ी। फिरोजशाह तुगलक सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने मुस्लिम स्त्रियों का फकीरों की दरगाहों पर जाना निषिद्ध कर दिया था।[2] मुस्लिम स्त्रियॉ हिन्दू स्त्रियों की तुलना में अपने शरीर को ढकने का अधिक ध्यान रखती थी।

विवाह

विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिन्दू अपनी ही जाति में विवाह करते थे। स्मृतियों के अनुसार कलियुग में द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य) को निम्न जाति की कन्या से विवाह की आज्ञा नहीं थी। परन्तु फिर भी समाज में इस प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ब्राहमण कवि राजशेखर का चौहान कन्या अवन्ति से विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। विधवा विवाह निषिद्ध था। बहुपत्नी–प्रथा थी। तलाक–प्रथा का हिन्दू समाज में प्रचलन नहीं था। डॉ0 अल्तेकर ने लिखा है कि '' पति भले ही नैतिक स्तर से गिर जाये और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता हो फिर भी तलाक की आज्ञा नहीं थी।''[3] सल्तनतकालीन समाज में महिलाओं को भोग–विलास की वस्तु समझा जाताथा। मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान के अनुसार एक व्यक्ति चार पत्नियॉ रखने का अधिकारी था, परन्तु मुस्लिम अमीर वर्ग के लोग अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे। उनके हरम औरतों से भरे रहते थे।[4] कभी–कभी रूपवती दासी का महत्व गृहस्वाामिनी से भी जादा होता था। रजिया सुल्ताना की उपमाता 'शाह तुर्कान' पहले एक दासी थी जो अपनी सुन्दरता के कारण बाद में चेरी रानी बन गई थी। सल्तनतकाल में केवल नासिरूद्दीन महमूद ही एक ऐसा सुल्तान था जिसने एक विवाह किया था। सल्तनकालीन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश ग्रामीण एक ही विवाह करते थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग एक से अधिक पत्नियों का खर्च वहन नहीं कर सकते थे।[5]

बाल विवाह

सल्तनत काल में विवाह की कोई उम्र नहीं थी। सुल्तान और अमीर वर्ग के लोगों के अत्याचारों के कारण हिन्दुओं में बाल विवाह का प्रचलन प्रारम्भ हो गया। हिन्दू अपनी कन्याओं की शादी 7 से 13 वर्ष की आयु में ही कर देते थे। हिन्दू अपनी ही उपजाति में विवाह कर सकते थे। बशर्ते बंधन नहीं था। खिज्र खॉ और देवलरानी का विवाह 10 और 8 वर्ष की आयु में हुआ था।[6]

विधवा विवाह

मुस्लिम समाज में विधवा विवाह का प्रचलन था। मुस्लिम समान में विधवा अपने पति की सम्पत्ति पर तब तक अधिकार रख सकती थी जब तक कि उसके दहेज की रकम की अदायगी न हो जाए। हिन्दुओं में विधवाओं को पुनर्विवाह करने हा अधिकार नहीं था। समाज में उनकी स्थिति दयनीय थी। उन्हें सौन्दर्य प्रसाधन और रंगीन वस्त्र का प्रयोग वर्जित था। अलबरूनी ने लिखा है कि ''विधवा का एकमात्र विकल्प सती होना था। विधवा होना पाप समझा जाता था।'' डेलाबेला ने लिखा है कि '' विधवा पुनर्विवाह नहीं करती थी और अपने सिर के बाल कटवाकर एकान्तवास करती थी।'' [7]

सती–प्रथा

सती–प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। सल्तनतकाल में भी सती प्रथा का प्रचलन था। पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ई0 एरण अभिलेख में मिलता है। सल्तनतकाल में इस प्रथा का सबसे ज्यादा प्रचलन राजपूत जाति में था। स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति के शव के साथ सती हो जायें अथवा जीवन पर्यन्त भिक्षुणियों के समान रहे। निकोली कोन्टी के अनुसार यदि कोई विधवा सती नहीं होती थी तो उसे पति की सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाता था। यहॉ तक कि उसके बच्चे तक सम्पत्ति के भागीदार नहीं बन सकते थे।[8]

जौहर–प्रथा

यह प्रथा हिन्दू समाज में विशेष रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। राजपूत महिलाएं अपपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में जलाकर अपने प्राणों की बलि तब दे देती थी जब उनके पति युद्ध में अपराजित हो जाते थे। यही 'जौहर' कहलाता था। सल्तनतकाल में जौहर के अनेक उदाहरण मिलते है। रणथम्भौर के शासक राणा हम्मीर देव की अलाऊद्दीन खिलजी के हाथों अपनी पराजय निकट दिखाई देने लगी तो उसने जौहर करवाया। दिल्ली सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने जब कम्पिला के राज्य पर आक्रमण किया तो कम्पिला के राजा ने बहाऊद्दीन गुरस्प को पहले सुरक्षित स्थान पर पहॅुचाया। इसके बाद उसने जौहर करवाया।[9]

दास–प्रथा

सल्तनत काल में दास–प्रथा का भी प्रचलन था। इब्नबतूता के अनुसार राज्य द्वारा शासकों को भेंट स्वरूप

भेजा जाता था। मुहम्मद तुगलक ने 100 दासियों को जो नृत्य और संगीत में निपुण थी उनको उपहार स्वरूप चीन के सम्राट को भेंट किया था।[10] डॉ0 घोषाल के अनुसार मुसलमानों को हिन्दू स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा दास बनाने में अत्यधिक प्रसन्नता होती थी। कभी–कभी इन दासियों को जिनमें हिन्दू राजकुमारियाँ भी होती थी। दरबार में और अमीरों की महफिल में नाचने–गानें के लिए बाध्य किया जाता था।[11]

स्त्री शिक्षा

सल्तनत काल में स्त्री शिक्षा प्रचलन में थी। ग्रामीण अंचल में निवास करने वाली महिलाएं अधिकांशतया शिक्षित नहीं होती थी परन्तु उच्च परिवारों में स्त्रि–शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता था। डॉ0 अशरफ ने लिखा है कि ''राजशेखर की पत्नी अवन्ति सुन्दरी, देवलरानी, रूपमती, पद्मिनी और मीराबाई शिक्षित नारियों के सजीव उदाहरण है।''[12] हिन्दुओं की भॉति मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया जाता था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया अरबी और फारसी को पढ़ने लिखने और बोलने में पूरी तरह से निपुण थी। इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान और जमालुद्दीन खिलजी की पत्नी मलका–ए–जहाँ प्रशासन कार्य में दक्ष थी।[13]

भोजन

हिन्दू और मुसलमान दोनों ही वर्गो के साधारण स्थिति वाले मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे उत्तम प्रकार का भोजन कर सके। अतः वे साधारण भोजन पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। 'खिचड़ी' इस वर्ग का मुख्य भोजन था। हिन्दू प्रायः निरामिष होते थे। मुस्लिम परिवारों में गोश्त का प्रचलन था। मैण्डल्सो ने मुस्लिम के भोजन के विषय में लिखा है– ''वे स्वतन्त्रतापूर्वक गाय तथा बछड़े का माँस, मछली, शिकर की जाने वाली चिड़ियाँ तथा भेड़–बकरी का माँस खाते थे।''[14] जायसी ने विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, परहिन, झींगा, सींगी इत्यादि का वर्णन किया है।[15] मुस्लिम के भोजन मांसाहारी थे जिसमें माँस, भेड़, बकरी, कबूतर, मुर्गे का होता था।[16] भोजन में घिया, तौरी, परमल और अरबी का भी प्रयोग होता था। महिलाओं के लिए मद्यपान वर्जित था।

वेशभूषा एवं आभूषण

इस काल में हिन्दू स्त्रियाँ साधारण वस्त्र पहनती थी। उत्तर भारत में स्त्रियाँ साड़ी भी पहनती थी। दक्षिण भारत में स्त्री व पुरूष दोनों लुंगी का प्रयोग करते थे। वस्त्र ऊनी, सूती व रेशमी होते थे। मुस्लिम वर्ग में स्त्रियाँ शरीर से चिपका हुआ पायजामा व कुर्ता (जम्फर) पहनती थी।[17] दोआब में स्त्रियाँ लहंगा चोली अगियॉ भी पहनती थी। अमीर वर्ग की महिलाएँ मुख्य रूप से कश्मीरी शॉल और करबा ही पहनती थी। मुस्लिम स्त्रियाँ घर से बाहर निकलने पर काले वस्त्र के बुर्के का प्रयोग करती थी।[18]

सल्तनत काल में स्त्रियाँ अपने शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग करती थी। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्त्रियाँ नियमित स्नान एवं सिर पर तिल का तेल लगाती थी।[19] सम्पन्न परिवारों की स्त्रियाँ अपने शरीर पर कस्तूरी एवं चंदन का लेप करती थी। माथे पपर बिंदी लगाती थी। अलग–अलग प्रकार के आभूषण जैसे– शीशफूल, कर्णफूल, नथ, बेसर, हार, कंगन, कड़ा, चूड़ी, करधनी, बिछुआ आदि आभूषणों को स्त्रियाँ पहनती थी।

मनोरंजन के साधन

सल्तनत काल में हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियाँ अनेक प्रकार से मनोरंजन करती थी। हिन्दू स्त्रियाँ वसन्त, रक्षाबन्धन, होली, दीपावली, दशहरा और शिवरात्री का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाकर अपना मनोरंजन करती थी। मुस्लिम स्त्रियाँ भी ईद, मोहर्रम, नौरोज, शब्बेरात इत्यादि मनाती थी। अमीर खशरो के अनुसार शतरंज एक लोकप्रिय खेल था और महिलाएँ भी शतरंज खेलती थी।20 त्योहारों के अतिरिक्त स्त्रियाँ नृत्य, संगीत, नाटक और द्वंद युद्ध, पशु–पक्षियों के युद्ध देखकर भी मनोरंजन किया करती थी।

निष्कर्ष

सल्तनत कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की सामान्य स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक थी। मुस्लिम स्त्रियों की अपेक्षा हिन्दू स्त्रियों की स्थिति और भी सोचनीय थी। सल्तनत काल में प्रचलित कुप्रथाओं के कारण हिन्दू स्त्रियों में उन्नति के मार्ग अवरूद्ध हो गये। मुस्लिम स्त्रियों के मान, सम्मान मे काफी कमी आई। इस प्रकार सामाजिक मूल्यों के गिरावट के कारण इस काल को अन्धकारमय युग के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मध्यकालीन भारतीय संस्कृत पृ0 सं0 23*
2. *डा0 के0 एल0 खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ0 सं0 34*
3. *डा0 के0 एल0 खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ0 सं0 32*
4. *डा0 एस0 एल0 नागोरी, श्रीमती कान्ता नागोरी, म0 भारत का सा0 संस्कृतिक एवं आ0 इतिहास पृ0 सं0 52*
5. *प्रो0 (डॉ0) तातेड़, डॉ0 अहमद शाहिद सल्तनकालीन इतिहास एवं संस्कृति पृ0 सं0 74*
6. *आर0 के0 गुप्त मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला पृ0 सं0 68*
7. *डा0 के0 एल0 खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ0 सं0 33*
8. *सुजाता चौधरी, ब्रह्मदत्त शर्मा, गणेश चन्द माथुर, मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास पृ0 सं0 71*
9. *आर0 के0 गुप्त मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला पृ0 सं0 71*
10. *प्रो0 (डॉ0) तातेड सोहनराय़, डॉ0 अहमद शाहिद सल्तनकालीन इतिहास एवं संस्कृति पृ0 सं0 78*
11. *आर0 के0 गुप्त मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला पृ0 सं0 71*
12. *डा0 के0 एल0 खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ0 सं0 33*
13. *आर0 के0 गुप्त मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला पृ0 सं0 72*
14. *डा0 के0 एल0 खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ0 सं0 34*

15. जायसी, पद्मावत पृ0 सं0 312
16. जियाउद्दीन बर्नी पृ0 116
17. डा0 के0 एल0 खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ0 सं0 35
18. आर0 के0 गुप्त मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला पृ0 सं0 46
19. डॉ0 ओमप्रकाश सिंह, मध्यकालीन भारत का राजनीतिक, सा0 सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास (750 से 1761 ई0 तक) पृ0 सं0 119
20. डॉ0 ओमप्रकाश सिंह, मध्यकालीन भारत का राजनीतिक, सा0 सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास पृ0 सं0 122